सहकारी कार्यालयों तथा स्वायत्तशासी निकायों में हिन्दी का प्रयोग

*367. **श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों मे कितने प्रतिशत कार्य मूल रूप से हिन्दी में हो रहा है और अंग्रेजी का कितने प्रतिशत कार्य कम किया गया है ,

(ख) क्या स्वायतशासी निकायो में भी हिन्दी के कार्य को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कोई व्यवस्था की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बाते क्या हैं ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) प्रगति की मात्रा का सुगमता से प्रतिशत में अनुमान नहीं लगाया जा सकता किन्तु सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग में क्रमिक वृद्धि हुई है यद्यपि राजभाषा अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक कर्मचारी को सरकारी कार्य में हिन्दी अथवा अंग्रेजी का प्रयोग करने की स्वतन्त्रता है । यह वृद्धि इस बात से भी प्रतिबिम्बित होती है कि ऐसे अनुभागों की संख्या, जिनमें टिप्पण तथा मसौदा-लेखन में हिन्दी का प्रयोग होता है, 3 -3-70 को 250 से बढ़कर 31-3-1971 को 356 हो गयी है तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को हिन्दी मे उद्भूत पत्रों की संख्या 1969-70 में 37,532 से बढकर 1970-71 में 49,552 हो गई है ।

(ख) और (ग) : हिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित केन्द्र सरकार के अथवा उसके नियन्त्रणाधीन स्वायत्तशासी निकायों से, अनुरोध किया गया है कि वे राजभाषा अधिनियम के उन पर लागू उपबन्धों का पालन करें तथा इस प्रयोजन के लिये समुचित प्रशासनिक प्रबन्धों को सुनिश्चित करें ।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट : राजभाषा अधिनियम के उपबन्धों जिसके अन्तर्गत सभी सरकारी प्रकाशनों का हिन्दी में रूपान्तर देना आवश्यक था अब तक इतने साल गुजर गये जबकि यह ऐक्ट दी आफिशियल लैंग्वेजैज ऐक्ट पास हुआ है तो मैं जानना चाहता हूँ कि जब से यह ऐक्ट पास हुआ है तब से लेकर अब तक इसको कार्यरूप में क्यों नहीं लाया जाता ? हर एक प्रकाशन जो अंग्रेजी में निकलता है उसका हिन्दी में भी रूपान्तर उसके साथ किया जाय।

श्री राम निवास मिर्धा : श्रीमन्, इस कानून के पूर्णरूप से पालन करने की कोशिश की जाती है। जहां तक अनुवाद का सम्बन्ध है सरकार ने अनुवाद के लिए बहुत सुविधायें बढ़ाई है । विभागों और मन्त्रालयों मे अनुवाद करने के लिये व्यक्तियो की नियुक्ति की गई है । एक विशेष मुहकमा कायम किया गया है जिसमे सारे नियमों का अनुवाद किया जायगा और इस क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है ।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट : प्रेस इनफारमेशन ब्यूरो में कहा जाता है कि काफी हिन्दी का जो स्टाफ है उसमे रिडक्शन किया जा रहा है, साथ ही साथ जो वहां स्केल आफ पे है वह रेगुलर सर्विस वालों की तरह से उन्हें नहीं दी जाती है तो यह चीज कहां तक सही है ?

श्री राम निवास मिर्धा : माननीय सदस्य ने जिस भ्रम का उल्लेख किया वह सही नहीं है । जो ब्यूरो स्थापित किया गया है उसमें व्यक्तियों को और लिया जा रहा है । जो व्यक्ति नियुक्त किये जाते हैं उनकी कार्यक्षमता के बारे में पूरा ध्यान रक्खा जाता है । उनकी जो वेतन इत्यादि मिलता है वह उनकी ही तरह के अधिकारियों के अनुरूप है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अभी मन्त्री महोदय ने कहा कि कर्मचारियों को इस बात की छूट है कि वे यदि चाहें तो हिन्दी में कार्य कर सकते हैं किन्तु क्या उन्हें पता है कि जो कर्मचारी हिन्दी में काम करना चाहते हैं उन्हें या तो निरुत्साहित किया जाता है या उनसे

कहा जाता है कि जो काम उन्होंने हिन्दी में किया है उसका वह अंग्रेजी में अनुवाद करके स्वयं लायें ? इस तरह के कई मामले मेरे ध्यान में लाये गये हैं तो क्या मंत्री जी उस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने के लिए तैयार है ?

श्री राम निवास मिर्धा : मै समझता हूं कि माननीय सदस्य ने जो बात कही है वह तथ्यपूर्ण नहीं है । इस प्रकार की कोई भी बातें हमारे सामने नहीं आई है कि किसी व्यक्ति को इस तरह से निरुत्साहित किया जाता हो । इसके विपरीत हमारे अधिकारियों को पूर्ण रूपेण स्वतन्त्रता है कि वे हिन्दी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में सरकारी काम करें । जो अधिकारी हिन्दी से परिचित नहीं है उनके उपयोग के लिए जो मन्विदे और नोट्स आदि हिन्दी में तैयार किए जाय उनका अनुवाद करना भी अनिवार्य है । इसमें किसी व्यक्ति को निरुत्साहित करने का प्रश्न नही उठता लेकिन जैसा मैंने कहा जो अधिकारी हिन्दी से परिचित नही हैं उनको भी सुविधा हो इसका अवश्य ध्यान रक्खा जाता है और इसलिए हिन्दी में तैयार किये गए मन्विदे और नोट्स का अंग्रेजी मे अनुवाद कराया जाता है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया । क्या सरकार का यह आदेश है कि जो कर्मचारी हिन्दी मे काम करेगा उससे ही कहा जायेगा कि वह अपनी टिप्पणी अंग्रेजी में भी बना कर लाये ?

श्री राम निवास मिर्धा : हिन्दी मे तैयार की गई टिप्पणियों या पात्रों का अनुवाद करने के लिए हर एक मंत्रालय में अनुवाद अधिकारी नियुक्त किये जा रहे हैं इसलिए जो माननीय सदस्य ने बात कही वह सही प्रतीत नहीं होती ।

श्री शंकर दयाल सिंह : अब हिन्दी की प्रगति का तो स्पष्ट उल्लेख यहीं पर दिखलाई दे रहा है कि जिस तरह से राज्य मंत्री महोदय ने हिन्दी में उत्तर दिया है । यहां अभी कुछ ही देर पहले अंग्रेजी में पूछे गये एक सप्लीमैंटरी सवाल का उन्होंने उत्तर हिन्दी में दिया लेकिन मैं एक ही प्रश्न का उत्तर चाहूंगा कि निदेशों के बावजूद भी उन निदेशों के उल्लघन के अपराध में किसी पदाधिकारी को अब तक उन्होने दंडित किया है या नहीं ?

श्री राम निवास मिर्धा : कोई उल्लघन की सूचना हमारे पास नहीं है और इसलिए दंडित करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता । माननीय सदस्य का यह भ्रम कि किसी व्यक्ति को हिन्दी में लिखने और काम करने के लिए दंडित किया जाता है सही नहीं है । माननीय सदस्य के पास यदि कोई वैसी जानकारी हो तो वह अवश्य दे दें और उसके ऊपर जांच करके मुनासिब कार्यवाही की जायगी ।

श्री शिव कुमार शास्त्री : एक प्रगति तो यह प्रतीत होती है कि जो पत्र हिन्दी मे लिखे जाते है उनके उत्तर हिन्दी में मिलते है । एक यह भी बड़ी प्रसन्नता की बात है कि जो उर्दू जानने वाले व्यक्ति है जैसे श्री शफी कुरैशी के नाम का मैं उल्लेख करना चाहता हूं तो उनके भी हस्ताक्षर हिन्दी में आते है । यह तो बात ठीक है लेकिन जो लोग कमेटियों मे काम करते रहते है जैसे प्राक्कलन समिति है या केन्द्रीय बिक्री कर की कमेटी है उसमे हिन्दी में काम करने वालों को अनुवाद साथ-साथ नहीं मिलता जबकि अंग्रेजी वालों को वह मिलता है तो क्या इस कठिनाई की भी मंत्री महोदय को कोई जानकारी है ? यदि है, तो उस कठिनाई को आप कब तक दूर करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : आप इसको जानकारी समझें, प्रश्न न समझें ।

SHRI R. P. ULAGANAMBI : Is it a fact that the Government of India issued a notification to all the Central Government departments to insist on the non-Hindi-speaking people to study Hindi and also withhold promotion for not studying Hindi and whether the Government will come forward to give equal status to all th

national languages accepted in the Constitution and also remove the special status given in the Constitution for Hindi.

SHRI RAM NIWAS MIRDHA : The present policy of the Government is that Hindi as well as English should be used for carrying on the administration in the Central Government, and I am not aware of any deviation from this rule. There is no question of insisting upon the people to learn Hindi We have a Hindi teaching scheme of which a large number of employees are taking advantage But there is no question of punishing any one for not knowing Hindi.

SHRI R. P. ULGANAMBI : Sir, what is the answer to the second part of my question ? The question was, whether the Government of India will come forward to give equal status to all the national languages accepted in the Constitution and remove the special status given in the Constitution for Hindi.

MR. SPEAKER : Of all these languages, there is only one national language.

श्री भागवत झा आजाद : माननीय मन्त्री महोदय ने अपने मूल प्रश्न के उत्तर मे कहा है कि प्रगति और क्रमिक विकास हो। मै उनसे यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार स्वयम् सन्तुष्ट है कि यह क्रमिक विकास हो रहा है और उसके समर्थन में प्रस्तुत आंकड़े प्रगति की दृष्टि से पर्याप्त है या उस को और आगे बढाने की आवश्यकता है ?

श्री राम निवास मिर्धा : मैं माननीय सदस्य की भावना मे सहमत हूं कि इसमें और भी आगे प्रगति करनी है, करनी चाहिये और सरकार यह कर रही है।

Impact of Farm and Home Cells Broadcasts over A.I.R.

*368. SHRI R. P. ULGANAMBI : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) the salient features of the study of listening habits and conditions in the rural areas Farm and Home Cells broadcasts of All India Radio in linguistic regions designed by the Indian Institute of Mass Communication ; and

(b) the impact and motivational value of the programmes and changes in the listening pattern on account of the prevalence of transistor sets ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI NANDINI SATPATHY) : (a) and (b). The study designed by the Indian Institute of Mass Communication was intended to cover inventory of the total listening time, the scale of preferences in the items of Farm and Home programmes, break-up of the socio-economic background of the audience in relation to preferences, the aggregate expectation from Farm and Home programmes and the effect of individual ownership on the scale of preferences. The study could not, however, be undertaken by the Institute due to paucity of resources.

SHRI R. P. ULGANAMBI : This is a very important study. Before the study was proposed to be undertaken, was not the budget of the Institute carefully analysed and apportioned for the various study progtammes ?

SHRIMATI NANDINI SATPATHY : I agree with the hon. Member that it is an important study no doubt, but we have to take into consideration the resources position. It is not that no study is going on about it. Actually, as far as this farm and home programme is concerned, we are getting a number of letters from listeners, which is one way of assessing the opinion of the listeners about the impact of the programme.

SHRI R. P ULAGANAMBI : What was the budget of the Institute in the year in which the study was Proposed to be undertaken, and how many studies were undertaken in that year ? When will the studies be undertaken ?

SHRIMATI NANDINI SATPATHY : That is not related to the main question, but actually, the budget estimate was Rs. 1,41,200. It was not possible for the Institute with its limited budget to carry on this study, and they do not propose to carry on this research even this year.

SHRI R. P. ULAGANAMBI : Sir,